>

Title: Need to include low lying slums under Calamity Relief Fund and National Calamity Contingency Fund in Bikaner district, Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनकी तरह अपनी बात लंबी मत कीजिएगा। अभी कुछ और माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, आपने मुझे 60 सेकेंड का समय दिया है, मैं 60 सेकेंड में ही अपनी बात पूरी करूंगा। भारत सरकार की एक योजना कलैमिटी रिलीफ फंड है, नेशनल कलैमिटी कंटीजेंसी फंड है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा होने पर, बादल फटने पर, बाढ़ आने पर, भूकम्प आने पर, चक्रवात आने पर सहायता राशि दी जाती है। मैं जिस बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां कोई नदी नहीं है और औसत से अधिक बरसात होने पर जो लो-लाइन की बस्तियां हैं, जिन्हें हम कच्ची बस्ती कह सकते हैं, उनके मकान गिर जाने पर सीआरएफ और एनसीसीएफ में उन्हें सहायता नहीं दी जाती है। जिला कलेक्टर कहते हैं कि यह इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि बाढ़ नहीं आयी है।

महोदय, मेरे यहां नदी नहीं है तो बाढ़ कैसे आयेगी? औसत से अधिक वर्षा तो राजस्थान में वैसे भी नहीं होती है। जब औसत से अधिक बरसात हो जाती है और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के मकान गिर जाते हैं तो जिला कलेक्टर एक हजार या दो हजार रूपये की सहायता देते हैं। मैं यह कहता हूं कि उसे सीआरएफ में कवर क्यों नहीं किया जाता, जहां पर मकान गिरने पर 35,000 रूपये की सहायता दी जाती है। मेरे राजस्थान में, जहां शीतलहर पड़ने पर भी सीआरएफ में सहायता नहीं जाती, पाला पड़ने पर भी सीआरएफ में सहायता नहीं जाती इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि सीआरएफ और एनसीसीएफ के जो नॉर्म्स हैं, जो मापदंड हैं, उनमें संशोधन किया जाये और शीत लहर, पाला पड़ने पर और कच्ची बस्तियों के मकान गिरने पर भी उन्हें सहायता दी जाये। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।